सं0–वे0आ0–2–787 दस–2008–45(एम)/99टी0सी0

प्रेषक,

श्री बी0एन0 दीक्षित,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक 11 अगस्त, 2008

विषयः– समान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवाओं का जोड़ा जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–257/10–2004–45(एम)/99 टी0सी0, दिनॉक 20 अगस्त,2004 के संलग्नक के विन्दु संख्या–5 में एक पद का आशय स्पष्ट करते हुए एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में की गयी सेवा को गणना में न लेने तथा एक ही विभाग के ऐसे पद जो एक संवर्ग के हैं और आपस में स्थानान्तरणीय हैं तथा वरिष्ठता सूची एक है, को छोड़कर एक ही विभाग में समान वेतनमान में भिन्न–भिन्न पदों पर की गयी सेवा को गणना में न लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे मामलों में जहॉ किसी संवर्ग में समान वेतनमान के पद से पदोन्नति होती है अथवा समान वेतनमान के दो पदों को संविलीन किया जाता है, वहॉ संबंधित पदधारक का वेतन निर्धारण पूर्व पद पर आहरित मूल वेतन के समान स्तर पर ही होता है तथा समयमान वेतनमान में पूर्व पद की सेवाएं न जोड़े जाने से उन्हें हानि होती है।

2– उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समान वेतनमान के पद पर पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप संबंधित पदधारक को नये धारित पद पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व पद की सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

3– शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–257/10–2004–45(एम)/99 टी0सी0, दिनॉक 20 अगस्त,2004 के स्पष्टीकरण विषयक संलग्नक के विन्दु संख्या–5 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

बी0एन0 दीक्षित
सचिव, वित्त।

सं0–वे0आ0–2– /दस–2008–45(एम)/99टी0सी0तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
2– रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
5– संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय नवीन भवन, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
6– समस्त मुख्यं/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 41 सा0 वित्त (हि0) 27.8.08–(1020) 4,000 प्रतियां (कम्प्यू0/आफ0)